

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी (क्षे), रेवाड़ी
 वन परिसर, कृष्णा नगर, रेवाड़ी, दूरभाष/फैक्स-01274-254568
 Email- dforewari2004@gmail.com

क्रमांक: 2211
 सेवा में:

दिनांक: 17-12-14

कार्यकारी अभियन्ता
 टी0एस0 मण्डल एच0पी0वी0एन0एल0
 रेवाड़ी ।

विषय: वन मण्डल एवं जिला रेवाड़ी हरियाणा में एच0एस0आई0डी0सी0 बावल में दायें व बायें साईट में गांव बावल में 3.871 है0 वन भूमि का उपयोग ।

सन्दर्भ आपका पत्र क्रमांक 3082 दिनांक 12-12-2014

सन्दर्भांकित पत्र द्वारा जो केस आपने इस मण्डल में भेजा है । उक्त केस की साईट का निरीक्षण वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल गुडंगाव द्वारा किया गया उक्त प्रस्तावित वन भूमि वन विभाग को बदले में प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमि को सुरक्षित वन घोषित किया जा चुका है । उक्त भूमि पर कैम्पा स्कीम एवं अन्य श्रोतो से पौधारोपण किया गया है । इस स्थिति में उक्त वन भूमि प्रतिपूर्ति पौधारोपण भूमि को नॉन फोरेस्टी प्रपज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अतः आपको लिखा जाता है कि आप अन्य विकल्प तलाशें यदि अति आवश्यक परिस्थितियों में अन्य विकल्प ना होने की सूरत में इस वन भूमि को इस्तेमाल किया जाना है तो आप 3.871 है0 वन भूमि के बदले में अन्य जगह पर भूमि देनी होगी । इस कार्यवाही के बाद ही आपके केस पर विचार किया जायेगा ।

वन मण्डल अधिकारी
 रेवाड़ी ।